

न्यायालय- प्रथम व्य.न्या.वर्ग-1 बैतूल के न्या. के तृतीय अतिरिक्त व्यवहार
न्यायाधीश वर्ग-1 बैतूल, जिला बैतूल, (म.प्र.)

(समक्ष- श्रीमति सीता कनोजे)

व्यवहार वाद क.-68ए/2017
संस्थित दिनांक-30.03.2017

1. मथुरा प्रसाद वल्द जुगरू, उम्र- 58 वर्ष, जाति- किराड़,
निवासी- ग्राम सहेरा तह. जिला बैतूल ———आवेदक/वादी

—:विरुद्ध:-

1. श्यामराव वल्द जुगरू, उम्र- 66 वर्ष, जाति- किराड़
2. दीनदयाल वल्द जुगरू, उम्र- 56 वर्ष, जाति-किराड़
दोनों निवासी ग्राम सहेरा तह. व जिला बैतूल म.प्र.
3. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर बैतूल
जिला बैतूल म.प्र. ———अनावदेकगण/प्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा श्री एस. सी. जैन अधिवक्ता।
 प्रतिवादी क-1, 2 द्वारा श्री खंडेलवाल अधिवक्ता।
 प्रतिवादी क-3 पूर्व से एकपक्षीय ।

आदेश

(आज दिनांक- 27.07.2017 को पारित)

01. इस आदेश के द्वारा आवेदक/वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. 1908 का निराकरण किया जा रहा है ।

02. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि कोमल पिता जुगरू किराड़ का स्वर्गवास हो गया है । प्रतिवादीगण द्वारा तहसीलदार बैतूल के समक्ष बटवारे हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। तहसीलदार द्वारा तीन माह का समय व्यवहार न्यायालय से स्वत्व के निराकरण हेतु प्रतिवादीगण को प्रदत्त किया गया था। जुगरू किराड़ ने अपनी संपत्ति का बटवारा अपने जीवनकाल में ही कर दिया था।

03. स्वीकृत तथ्य के अतिरिक्त वादी के अभिवचन संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संपत्ति ग्राम सेहरा में खानदानी कृषि भूमि है । उक्त कृषि भूमि का बटवारा पिता के जीवन काल में ही हो गया था पश्चात से वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से में काबिज है । वादी अपने हिस्से की भूमि खसरा न- 333 रकबा 11.150 हे. एवं खसरा न.- 322 रकबा 0.909 हे. पर बटवारे पश्चात से काबिज काश्त है तथा भूमि का लगान भी वादी द्वारा लगातार अदा किया जा रहा है । वादी द्वारा सेन्द्रल कापरेटिव बैंक ग्राम सेहरा से कृषि ऋण प्राप्त किया है तथा खाद बीज भी प्राप्त की है ।

04. वादी की अज्ञानता का लाभ उठाकर प्रतिवादीगण द्वारा वादी को प्राप्त हिस्से की भूमि खसरा न- 333 रकबा 11.150 हे. एवं खसरा न.- 322 रकबा 0.909 हे. पर प्रतिवादीगण ने वादी के नाम के साथ अपना स्वयं का नाम भी दर्ज करा लिया है । जबकि प्रतिवादीगण को विवादित भूमि में किसी प्रकार का कोई हक या स्वत्व नहीं है । कोमल पिता जुगरू किराड़ का दिनांक 21.03.2017 को ग्राम नयेगोंव तह. आठनेर जिला बैतूल में मृत्यु होने बाबत जानकारी नहीं होने से एवं वारसान की जानकारी भी नहीं है । अतः कोमल वारसान को प्रतिवादी नहीं बनाया है ।

05. वादी को तंग करने की गरज से प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर जमीन का बटवारा प्राप्त करने की गरज से एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा- 178 म.प्र.भू.रा. संहिता अंतर्गत प्रस्तुत किया गया । जिसकी जानकारी वादी को होने पर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण का वादग्रस्त जमीन में किसी प्रकार का स्वामित्व नहीं है और न ही उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा है । कब्जा संबंधी तथ्य को प्रतिवादी क्र-1 द्वारा तहसील बैतूल के न्यायालय में दिए गए कथन से भी स्पष्ट होता है । वादी द्वारा की गई आपत्ति संबंधित स्वत्व की होने से न्यायालय तहसीलदार बैतूल द्वारा सिविल न्यायालय में दावा प्रस्तुत करने हेतु 3 माह का समय अर्थात् 30.03.2017 तक का प्रदान किया गया है ।

06. प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में भी तहसीलदार बैतूल में वादी को तंग करने की गरज से आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें विवादित भूमि खसरा न- 333 रकबा 11.150 हे. एवं खसरा न.- 322 रकबा 0.909 हे. के बटवारे की मांग की गई थी । जो अनुपस्थित होने से न्यायालय द्वारा प्रतिवादी का आवेदन खारिज किया गयाथा इस प्रकार प्रतिवादीगण लालच वश एवं वादी को तंग करने की गरज से असत्य आधारों पर आवेदन प्रस्तुत करते हैं । इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि विवादित भूमि का स्वत्व न्यायालय से प्राप्त करे । साथ ही प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करे ताकि वादी शकुन के साथ अपने स्वामित्व की भूमि का उपयोग एवं उपभोग बिना किसी रुकावट के कर सके । इसके अलावा वादी द्वारा लगातार पिता की मृत्यु के पूर्व से बटवारे में प्राप्त विवादित भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है एवं फसल प्राप्त

कर रहा है एवं समय समय पर अपने स्वामित्व की भूमि की उन्नति के लिए बैंक तथा सोसायटी से ऋण प्राप्त कर खेती की उन्नति की है और इसी कारण लालचवश प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व अभिलेख में दर्ज वादी के साथ शामिल शरीकत नाम होने से उसका फायदा बटवारे द्वारा प्राप्त करना चाहता है।

07. प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में वादी को तंग करने की गरज से दीवानी न्यायालय में वादी के स्वामित्व की भूमि पर आधिपत्य की पुष्टि बाबत एक दावा प्रस्तुत किया था जिसका दीवानी मु.न. 45 ए/14 है जो न्यायालय व्य.न्या. वर्ग-2 बैतूल द्वारा आधिपत्य की पुष्टि न करते हुए खारिज किया। इसके बावजूद भी वादी को प्रतिवादी वर्ष 1989 से लगातार परेशान करके एनकेन प्रकारेण अलग अलग तरह से मुकदमा कर मानसिक एवं आर्थिक क्षति कारित कर रहा है। वादी का वाद प्रथम दृष्ट्या ही सुदृढ़ है एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिंदु भी वादी के पक्ष में है। प्रकरण के निराकरण तक वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया।

08. प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकृत तथ्य के अतिरिक्त वादी के अभिवचनों को असत्य बताकर अस्वीकृत किया गया है, उनका पक्ष है कि स्वयं जुगरू किराड़ ने उनके स्वयं के नाम की संपत्ति का आपसी बटवारा स्वयं के जीवनकाल में कर दिया था। विवादित भूमि का सभी भाई अपनी ईच्छानुसार उचित प्रकार से उसका उपयोग उपभोग कर सके, शासकीय योजनाओं का उचित प्रकार से लाभ प्राप्त कर सके इसी उद्देश्य से बटवारे का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। मौके पर आपसी बटवारा पूर्व से चला आ रहा है। राजस्व अभिलेख में बटवारा दर्ज न होने से सभी खाता धारकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। वादी द्वारा विवादित संपत्ति पर प्रतिवादीगण द्वारा नामांतरण हेतु आवेदन दिनांक-19.05.2006 को तहसीलदार बैतूल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इस आवेदन पर तहसीलदार द्वारा दिनांक-12.02.2007 को इस आधार पर कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत पंजीबद्ध विक्रय पत्र 30 वर्षों से भी अधिक पुराना है तथा वर्तमान में राजस्व अभिलेख सेवकराम वल्द सालकराम कुन्बी के नाम से है। सक्षम न्यायालय में जाने के निर्देश देते हुए आवेदन निरस्त कर दिया गया था। इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी बैतूल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण पुनः नामांतरण की कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित किया गया था। इस प्रत्यावर्तन के पश्चात तहसीलदार द्वारा दिनांक-13.04.2009 को आवेदक श्यामराव, मथुरा, दीनदयाल, कोमल वल्द जुगरू साकिन सेहरा के नामांतरण का आदेश दिया गया था। इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में विवादित भूमि पर इन चारों व्यक्तियों के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुए हैं।

09. विवादित भूखंड का बटवारा जुगरू के जीवनकाल में ही हो चुका था। बटवारा पूर्व पश्चिम किया गया था तथा भूखंडों को चार भाग में विभाजित कर दिया गया था। इस बटवारे अनुसार उत्तर की ओर का भाग मथुरा का उसके पश्चात उससे

लगा हुआ भाग कोमल को, कोमल से लगा हुआ भाग श्यामराव को एवं श्यामराव से लगा हुआ भाग दीनदयाल को प्राप्त हुआ। दीनदयाल को प्राप्त भूखंड से लगा हुआ नाला है। इस प्रकार चारों व्यक्ति पृथक पृथक अपने भाग पर स्वामित्व की हैसियत से काबिज होकर काश्त करे चले आ रहे हैं।

10. प्रतिवादीगण द्वारा बटवारे हेतु आवेदन दिनांक-12.05.2016 को तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद वादी द्वारा अनावश्यक एवं निरर्थक रूप से प्रतिवादीगण को परेशान करने के उद्देश्य से यह कथन किया गया है कि इस भूमि पर प्रतिवादीगण बटवारे की पात्रता नहीं रखते हैं एवं 90 दिन का स्थगन प्राप्त किया एवं व्यवहार वाद असत्य आधार पर प्रस्तुत किया गया है। वादी चाही गई निषेधाज्ञा वाद प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है। प्रतिवादीगण को उनके ही स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसी निषेधाज्ञा दी गई तो प्रतिवादीगण को अपरिमित क्षति होगी। प्रतिवादीगण को वैधानिक अधिकारों का हनन होगा। अस्थाई निषेधाज्ञा के मानक प्रतिवादीगण के पक्ष में है। अतः आवेदन सव्यय खारिज किए जाने का निवेदन किया।

11. अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के निराकरण हेतु निम्नलिखित तीन अवधारणीय बिन्दु है कि क्या -

- 1- प्रथम दृष्टया मामला ।
- 2- सुविधा का संतुलन ।
- 3- अपूर्णीय स्वरूप की क्षति के मानक वादी के पक्ष में है।

-अवधारणीय बिन्दु क्रमांक-1 सकारण निष्कर्ष:-

12. वादी ने यह अभिवचन किए हैं कि पिता जुगरू ने अपने जीवनकाल में खानदानी कृषि भूमि का बटवारा कर दिया था। बटवारे में वादी के हिस्से में भूमि ख.न. -333 रकबा 11.150 हे एवं ख.न-322 रकबा 0.909 हे0 भूमि प्राप्त हुई होकर वह उस पर काबिज काश्त है। जबकि प्रतिवादी ने वादी को बटवारे में उक्त भूमि प्राप्त होने से इंकार किया है तथा यह अभिवचित किया है कि विवादित किए गए भूखंड का बटवारा जुगरू के जीवनकाल में हो चुका था। बटवारा पूर्व पश्चिम किया था। भूखंड को चार भागों में विभाजित किया था। बटवारे अनुसार उत्तर की ओर का भाग मथुरा का उसके पश्चात उससे लगा कोमल को और कोमल से लगा श्यामराव को तथा श्यामराव से लगा भाग दीनदयाल को प्राप्त हुआ था। सभी अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

13. वादी एवं प्रतिवादीगण के उक्त अभिवचन से यह स्पष्ट होता है कि मृतक जुगरू ने अपने जीवनकाल में कृषि भूमियों का बटवारा कर दिया था। विवादित भूमि ख. न.-333 रकबा 11.150 हे एवं ख.न-322 रकबा 0.909 हे0 वादी ने स्वयं के हिस्से में आना बताया है किन्तु वादी की ओर से कोई बटवारा अभिलेख पेश नहीं किया है। इसी प्रकार विवादित भूमि में चार हिस्से हुए के संबंध में भी प्रतिवादीगण की ओर से भी कोई बटवारा अभिलेख पेश नहीं किया गया है।

14. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादीगण श्यामराव पिता जुगरू द्वारा तहसील न्यायालय बैतूल के समक्ष विवादित कृषि भूमि ख.न-333, 322 रकबा 11.150, 0.909 हे. भूमि का बटवारा हेतु आवेदन पेश किया जिसमें स्वत्व का प्रश्न निर्मित होने से तीन माह के लिए आवेदन स्थगित किया गया है तथा सिविल न्यायालय से निराकरण कराए जाने हेतु निर्देशित किया है उक्त के संबंध में तहसील न्यायालय बैतूल की आदेश पत्रिका दिनांक-12.05.16 की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है।

15. विवादित कृषि भूमि ख.न-333, 322 रकबा 11.150 रकबा 0.909 हे. भूमि वादी के पिता जुगरू के स्वामित्व एवं आधिपत्य की रही है, के संबंध में वादी द्वारा कोई भी राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है। विवादित भूमि वादी को बटवारे में प्राप्त हुई के संबंध में भी वादी ने बटवारा अभिलेख पेश नहीं किया। वर्तमान में उक्त विवादित भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने के संबंध में भी किसी भी प्रकार का कोई राजस्व अभिलेख खसरा, किशतबंदी, खतौनी इत्यादि पेश नहीं। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि वर्तमान में कृषि भूमि के रूप में अस्तित्व में है बिना राजस्व अभिलेख के अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में होना यह न्यायालय निर्धारित नहीं करती।

—अवधारणीय बिन्दु कमांक— 2 व 3 सकारण निष्कर्ष:—

16. वादी अधिवक्ता ने तर्क के दौरान प्रकट किया है कि विवादित कृषि भूमि ख. न.-333, 322 रकबा 11.150, 0.909 हे. वादी के कब्जे में हैं। इस संबंध में तहसील न्यायालय में दीनदयाल एवं कोमल प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किए गए कथन की सत्यप्रतिलिपि पेश की है। उक्त विवादित भूमि वर्तमान में कृषि भूमि के रूप में अस्तित्व में है के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं होने से प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में होना नहीं पाया गया है। तब विवादित भूमि वादी के आधिपत्य में है ऐसी उपधारणा नहीं की जा सकती। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय स्वरूप के मानक भी वादी के पक्ष में होना यह न्यायालय निर्धारित नहीं करती है।

17. इस आदेश के विवेचन का प्रभाव प्रकरण के आगामी प्रक्रमों पर नहीं होगा।

आदेश दिनांकित व हस्ताक्षरित कर,
पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही/—

सही/—

(श्रीमति सीता कनोजे)

प्र.व्य.न्या.वर्ग-1 बैतूल के न्या.के तृतीय अति.
व्य.न्या.वर्ग-1 बैतूल जिला बैतूल (म.प्र)

(श्रीमति सीता कनोजे)

प्र.व्य.न्या.वर्ग-1 बैतूल के न्या.के तृतीय
अति. व्य.न्या.वर्ग-1 बैतूल, जिला बैतूल(म.प्र)